समाचार एवं विचार सेवा वार्षिक सहयोग राशि 25/–

महाकौशल–संदेश

वर्ष:– 2019–20 पृष्ठ:– 4 अंक :– 50 संपादक :– डॉ. किशन कछवाहा

RNI No. MPHIN/2001/11140

यह सामग्री 'प्रकाशनार्थ' प्रेषित है। कृपया अपने लोकप्रिय पत्र–पत्रिका में प्रकाशित कर Complimentaryकापी प्रेषित करने की अनुकम्पा करें।

क्यों धधक रही है दिल्ली? – डॉ. किशन कछवाहा

जिस तरह की देशघाती–षाड़यांत्रिक साजिशों के तहत शाहीनबाग जैसे प्रदर्शन और जे.एन.यू. जामिया मिलिया के तौर–तरीकों पर देश विरोधी और देश को टुकड़े–टुकड़े कर देने वाले नारे लगवाये जा रहे थे, इतना ही नहीं उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा था, उससे दिल्ली को धधकाने जैसे परिणाम तो आने ही थे।

इसकी आहट तो उसी दिन से मिलना शुरू हो गयी थी जिस दिन से अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जे.एन.यू. में कन्हैया कुमार सहित टुकड़े–टुकड़े गेंग ने अपने प्रचार–प्रसार का कार्यभार सम्हाल लिया था, उसी प्रकार हैदराबाद के औबेसी बंधुओं, शर्जील इमाम ने, सोनिया गांधी ने आर–पार की लड़ाई छेड़ देने का आव्हान, राहुल–प्रियंका के जहर बुझे भाषणों, वारिस पठान जैसे कट्टरवादी मुसलमानों के बयानों द्वारा शाहीनबाग में बैठे प्रदर्शन, धरना करने वालों को उत्साहित किया–बरगलाया और हिन्दु–मुस्लिम भेदभाव का समाज में जहर घोला। इन सबके परिणाम आगजनी, गोलीबारी, पुलिस कर्मियों पर हमले आदि के सिवाय और क्या हो सकते थे?

यह बात सत्य ही साबित हुयी कि भारत में ऐसा विष घोलने के लिये पाकिस्तान सहित कट्टरवादी मुस्लिम देशों से अशान्ति व्यवस्था पैदा करने के लिये हथियार और पैसा भरपूर मात्रा में मस्जिदों को भेजा जा रहा है। दिल्ली में आम पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर से मिली विस्फोटक सामग्रियाँ और एकत्रित पत्थर तथा पचास से अधिक गोलियां लगने से आहत अस्पताल में भर्ती मरीज इस बात की ही तो प्रत्यक्ष गवाही दे रहे हैं कि कई महीनों से देश के भीतर किस तरह साजिशें अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर चलायी जा रही थी। शाहीनबाग जैसे प्रदर्शन संयोग नहीं, लीगी साजिश के प्रयोग थे।

आज उन्हीं तमाम ताकतों द्वारा घड़याली आँसू बहाने का भी क्रम चल पड़ा है। ताकि प्रशासन और जनता के ध्यान को दूसरी तरफ भटकाया जा सके। दिल्ली के मौजपुर में हुयी गोलीबारी की घटना, यमुना बिहार के अम्बेडकर पार्क में खड़ी दो दर्जन कारों और मोटर वाहनों में आग लगा दिया जाना, पूर्वी दिल्ली के मंडावली, विनोद नगर और चन्द्र बिहार में अशान्ति एवं हिंसा की घटनायें अचानक नहीं हुयीं हैं। इन घटनाओं का जो स्वरूप और परिणाम सामने आया है, वे साधारण नहीं वरन् लम्बी तैयारी के साथ किये गये प्रतीत होते हैं। मौजपुर में तो छतों से गोलियाँ लगातार चलायी गयीं है। इसके कारण पुलिस एवं अन्य अधिकारियों को घटनास्थल से पीछे हटने को बाध्य होना पड़ा था। कतिपय स्थानों पर जान की जोखिम लेकर घटनाओं की जानकारी लेने का प्रयास कर रहे मीडिया कर्मियों पर भी कट्टरवादियों ने हमले किये। उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भरती कराया गया। कुछ के साथ बदतमीजी भी की गई, कैमरे तोड़ने और छुड़ाने की कोशिशें की गयीं। दिल्ली के घोड़ा इलाके में एक बस में आग लगाकर लोगों को मारा–पीटा गया।

इस देश का दुर्भाग्य है कि विभाजन और आजादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी मुसलमानों और मजहबी कट्टरता से मुक्त करने के लिये कांग्रेस की सरकारों ने कोई प्रयास नहीं किये वरन् तुष्टीकरण की नीति के जरिये कट्टर इस्लामिक–जेहादी नेताओं को गले लगाने की नीति पर अब तक (कांग्रेस और कतिपय विपक्षी दल) मुस्लिम वोट बैंक की लालच में देशहित को भी बलि चढ़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं।

इतिहास से सबक लिया जाना चाहिये कि जिहाद राजनीतिक युद्ध है। जिहादियों की अपनी घोषणाओं, नारों, दस्तावेजों में, उन्हें दिन–प्रतिदिन प्रेरित करने वाली मजहबी किताबों में हर जगह मोटे–मोटे अक्षरों में लिखा है कि उनका उद्देश्य काफिरों के विरूद्ध मजहबी युद्ध चलाना है, वह भी जब तक इस दुनिया की सारी धरती 'अल्लाह' की न हो जाये। सारी दुनिया को इस्लाम के झंडे तले लाना है।

सातवीं सदी से अब तक तलवार छल, दमन, युद्ध से काम निकालने में कोई नरमी नहीं बरती जाती। दुनिया भर में सेकुलरों वामपंथियों और तथाकथित बुद्धिजीवियों ने भी इस धोखे और भ्रम को बढ़ाने में सहयोग दिया है।

औबेसी बंधुओं, वारिस पठान जैसे मुसलमानों ने अपने भाषणों में न जाने कितनी बार उन्माद फैलाने की कोशिशें की हैं। दूसरी और कतिपय मीडिया संस्थान आतंकवादी याकूब मेमन, अफजल गुरू जैसों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फाँसी दिये को भी महज मुसलमान होने को कारण बताने से बाज नहीं आते।

आज आखिर इस बात पर चिन्तन करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? कि कश्मीर के बहुसंख्यक मुसलमान 5 लाख कश्मीरियों को आखिर क्यों खदेड़ देते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक देश है–यहाँ हिन्दू क्यों नहीं रह सकते? वे यदि मुस्लिम अत्याचारों से ऊबकर परेशान होकर भारत आते हैं, तो भारत के मुसलमानों को उन्हें नागरिकता दिये जाने पर आक्रोश क्यों पैदा होता है, जो आगजनी, गोलीबारी और पुलिस कर्मियों पर हो रहे हमलों के रूप में सामने आता है।

74 साल पहले देश का मजहब के आधार पर हुआ भारत–विभाजन का दंश झेल चुका है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप पूर्व–पश्चिम इस्लामिक कट्टर राष्ट्र बने। अब भी इन हिस्सों से अवैध–घुसपैठ के जरिये इस्लामी आबादी बढ़ रही है जिससे 14सौ साल पुराने प्रमाणित दस्तावेजों वाले इतिहास सन् 1920 में केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा किये गये वीभत्स कृत्य और भारत की आजादी और बँटवारे के समय हुये नरसंहार, बलात्कार, आदि की घटनाओं की बरबस याद आ जाती है। ऐसा न हो कि वे स्थितियाँ पुनः साकार रूप लें। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से जो घटनायें घट रहीं हैं उन्हें सहजता से लिया जाकर स्वाभाविक कह कर नजर अंदाज नहीं किया जा सकता।

यदि इस्लाम उदारवादी है तो इसका भी व्यवहारिक रूप से प्रमाण भारत में निवास कर रहे मुसलमानों को भी देना चाहिये। उन्हें साहस के साथ आगे आना चाहिये। महज गंगा–जमुनी तहजीब की बात कहना भर असर कारक नहीं हो सकती। क्योंकि उग्रवादी इस्लाम का कुरूप चेहरा और उसकी झूठी अवधारणाओं से इतिहास भरा पड़ा है। उसे भुलाया जाना आसान नहीं है। क्योंकि मुस्लिम उस मध्ययुगीन विचारधारा को छोड़ने को कतई तैयार नहीं है। प्रेम, शान्ति और भाईचारे का उपदेश देने वाले इस्लामिक प्रवचनकार और विद्वान उन प्रशिक्षण शिविरों और मदरसों की बात सामने आने पर,(जहां आतंकी तैयार किये जाते हैं) चुप्पी साध लेते हैं। कोई आतंकी गतिविधियों का विरोध भी करता नजर नहीं आता? यही कारण है कि इस्लाम सारी दुनिया में शक के दायरे में आ गया है। अन्यथा इस्लाम की उदारवादी अवधारणायें महज धोखा और भ्रम पैदा करती रहेंगी।

संसद द्वारा पारित कानून के विरोध में गत लगभग दो माह से भी अधिक समय से धरना–प्रदर्शन–कारियों के हौसले इतने बढ़े हुये थे कि सारे रास्ते बन्द कर राहगीरों की कठिनाईयाँ बढ़ा दी थीं, मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस और बच्चों को स्कूल ले जाने वाली बसों को भी निकलने नहीं दिया जा रहा था। राजनीति और कट्टरपंथी ताकतें क्या–क्या कर सकती है–इससे बढ़िया उदाहरण संविधान बचाने के नाम पर और क्या हो सकता है? पुलिस से लेकर अदालत तक के सामने 'अभिव्यक्ति की आजादी' रास्ता रोके हुये थी–इसी बानगी ने दिल्ली में हिंसा का रास्ता प्रशस्त किया।

दिल्ली में लोकप्रियता की सभी सीमायें तोड़कर 70 में से 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी के नेता धधकती दिल्ली को बचाने के लिये घर से बाहर निकलने का साहस क्यों नहीं जुटा पाये? जबकि उनकी ही पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षद और मुस्लिम नेता ताहिर फतेह और अमानुतुल्ला खाँ शाहीनबाग से लेकर दिल्ली में न केवल सी.ए.ए. के खिलाफ उन्माद फैलाने में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहे थे, वरन् दंगाईयों के साथ हिंसक कार्रवाईयों आगजनी और पथराव करने वालों का साथ देते हुए अगुआई कर रहे थे। आम आदमी पार्टी का दो मुंहा चरित्र तो उसी समय उजागर हो चुका था जब दिल्ली की केजरीवाल सरकार कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करने की अनुमति देने में जानबूझ कर देर कर रही थी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। वह हिंसा रोकने की जिम्मेदारी के बच नहीं सकती।

मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों को अठारह हजार–बीस हजार रूपये मासिक देने की घोषणा भी क्या इसी आशय से नहीं की गई थी कि ये इमाम और मुअ़ज्जिन अपने प्रभाव का उपयोग कर आप पार्टी की जीत सुनिश्चित करायेंगे? इस आशय का निर्णय लेने वाली बैठक में उक्त दोनों मुस्लिम विधायक और केजरीवाल स्वयं उपस्थित थे। शाहीनबाग जैसे धरना–प्रदर्शनों के दौरान हुयी बयानबाजी और भाषणों के दौरान व्यक्त किये गये देशद्रोही विषयों से स्पष्ट हो गया था कि भविष्य में इसके परिणाम समाज विरोधी ही होंगे। अन्ततः आगजनी, हिंसा का ताण्डव दो–तीन महीनों के बीच

शेष भाग पृष्ठ क्र.4 पर

जीत और हार

अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के 'आप' के नेता अपनी 'दो मुखी बात' को नहीं दुहरा पायेंगे – कि 'ई.वी.एम.' में कोई खोट है। अब तो मान लेना पड़ेगा कि केजरीवाल स्वयं गलत थे?

उन्हें अब शायद इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि उनकी ही पार्टी के विजयी विधायकों में से आधे से ज्यादा आपराधिक मामलों में संलग्न हैं।

इस बार केजरीवाल ने शपथग्रहण में किसी अन्य पार्टी के नेता को नहीं बुलाया। यह ऐसा कदम था जिससे माहौल को परखा जा सके। केजरीवाल ने इस बार कांग्रेस से कोई ताल्लुक रखने की कोशिश भी नहीं की।

भाजपा ने दिल्ली में लड़ाई तो लड़ी लेकिन उसे स्वयं ऐसी हार की उम्मीद नहीं थी। राजस्थान और मध्यप्रदेश में भी उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। दिल्ली की तुलना सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही की जा सकती है। ये भाजपा के लिये प्रभावी क्षेत्र रहे हैं। कई नये क्षेत्रों में उसे सफलता मिली भी है। त्रिपुरा, हरियाणा और कुछ अंशों में उत्तरप्रदेश भी। यह संतोष की बात है कि दिल्ली में उसका मत प्रतिशत बढ़ा है। भाजपा के मतों में छह प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी है। आप और कांग्रेस के प्रतिशत में कमी आयी है। राजधानी में 15 साल राज करने वाली कांग्रेस को 70 विधानसभा वाली दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिल सकी। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 4.27 प्रतिशत वोट मिले। कांग्रेस के 66 में से 63 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गयी। केवल तीन उम्मीदवार अपनी जमानत बचा पाये। दिल्ली की इस हार ने उसकी संभावनाओं को धूमिल कर दिया है। यहाँ से पूरी तरह उखड़ चुकी है।

आप पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीत कर सरकार तो बना ली पर राजनैतिक चुनौतियाँ कम नहीं है। मुफ्त की सुविधाऐं देने की घोषणा कर मतदाताओं को लुभाया है, लेकिन प्रश्न यही है कि इन सुविधाओं को देने से होने वाले घाटे की पूर्ति कैसे और कहाँ से हो पायेगी?

यद्यपि मुफ्त उपहार बांटने और उसकी घोषणा करने में कांग्रेस का कोई मुकाबला नही है। लोक लुभावन मुफ्त की घोषणायें कर राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव जीत तो लिये गये। इनमें कई हकीकत में अब तक पूरे नहीं हो सके हैं।

ऐसा ही कुछ हाल केजरीवाल सरकार का होने वाला है। ये घोषणायें ऐसी वित्तीय हालत पैदा करेंगी जिससे लम्बे समय तक तरह–तरह की समस्यायें उत्पन्न होती रहेंगी। उन्होंने बदलाव की नई राजनीति का वादा किया है जो शाहीनबाग जैसे आन्दोलन स्थलों से इस्लामिक कट्टरपंथियों के मुख से निकले उद्‌गारों का नमूना ही है।

भारत सरकार को देश की सुरक्षा की खातिर ऐसे घटनाओं को और धरना–प्रदर्शनों के द्वारा वक्ताओं द्वारा उगले गये जहरीले स्वरों में निहित भावनाओं को गम्भीरता से लेना चाहिये। देश की आजादी से लेकर अब तक बहुत कुछ सहन किया जाता रहा है। वह भी तथा कथित 'गंगा–जमुनी' तहजीब के तहत घृणा भरी अजीब मुस्कान के साथ। ''हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिन्दुस्थान'' जैसे नारों को हिन्दुस्थान भूला नहीं है। टुकड़े–टुकड़े गेंग को प्रोत्साहन देने वाले वामपंथी इतने दिनों से कर क्या रहे हैं? इसे समझन मुश्किल नहीं है।

इस्लामोफोबिया की वैश्विक चुनौती

भारत में आशंकाओं की बुनियाद पर नागरिकता संशोधन कानून का चौतरफा विरोध कर रहे मुसलमान खुद दुनियाभर में किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसे मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के देश की राजधानी कुआलालम्पुर में इस्लामिक समिट में दिए उद्‌घाटन भाषण में समझा जा सकता है। महातिर ने कहा कि जिहाद, दमनकारी प्रशासन और नव–उदारवाद आज इस्लामिक देशों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दुनिया भर के मुसलमानों की तकलीफों पर दुख व्यक्त करते उन्होंने कहा कि मुस्लिम केवल इस्लामोफोबिया और हिंसा से ही नहीं अपने देशों से कुशासन से भी जूझ रहे हैं। महातिर ने कहा कि आज हमने दुनिया में अपना सम्मान खो दिया है। हम न तो मानव ज्ञान के स्त्रोत हैं और ना ही किसी मानव सभ्यता के मॉडल। उन्होंने कहा कि 18वीं से लेकर 20वीं सदी तक मुस्लिम देशों पर यूरोपीय ताकतों का प्रभुत्व रहा, लेकिन उनसे आजादी हासिल करने के बाद भी हमने स्वतंत्र देशों के तौर पर भी बहुत कुछ नहीं किया है। हममे से कुछ तो औपनिवेशिक युग के स्तर की गुलामी तक पहुंच गए हैं। मलेशियाई पीएम ने कहा कि हम भले ही जिहाद का दावा करें लेकिन इसका नतीजा मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार में बढ़ोत्तरी के रूप में सामने आता है। हम अपने ही देशों से बाहर निकाले जाते हैं, शरणदाता देशों से खारिज होते हैं और वहां हमें दमन और आलोचना का शिकार होना पड़ता है। हमने इस्लाम को लेकर इस हद तक डर पैदा कर दिया है कि दुनिया में इस्लामोफोबिया की जगह बन गई है।

महातिर मोहम्मद वही पीएम हैं, जिन्होंने भारत में कश्मीर से धारा 370 हटाने की खुलकर आलोचना की थी, जिससे भारत–मलेशिया सम्बंधों में तनाव आ गया था। 93वर्षीय महातिर शायद विश्व के सबसे वृद्ध और फिट राजनेता हैं। यहां 'इस्लामोफोबिया' से तात्पर्य दुनिया में इस्लाम के प्रति उपजे उस सामाजिक पूर्वाग्रह और नफरत की भावना से है, जो मुख्य रूप से राजनीतिक इस्लाम, धार्मिक कट्टरवाद और गैर मुसलमानों की निर्मम हत्याओं के कारण उपजी है। वैश्विक स्तर पर मुसलमानों में यह आम धारणा है कि उनका दमन किया जा रहा है, उनके धर्म और पहचान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। यह भावना न केवल गैर मुस्लिम राष्ट्रों में है, बल्कि उन देशों में भी है, जो इस्लामिक राष्ट्र हैं। कारण भले अलग–अलग हों, लेकिन यह हकीकत है कि आज दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देश भारी अशांति और आतंरिक कलह से गुजर रहे हैं। उन देशों में भी, जहां वे बहुसंख्यक हैं और उन देशों में भी जहां वो अल्पसंख्यक हैं। आज दुनिया में लगभग 52 देश मुस्लिम राष्ट्र हैं अर्थात् यहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं। इनमें केवल 6–7 ही लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। विरोधाभास यह है कि जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, वहां वे पूर्ण इस्लामिक राष्ट्र और सबके लिए शरिया कानून चाहते हैं और जहां अल्पसंख्यक हैं, वहां तो सेक्युलर लोकतंत्र और सभी के लिए समान कानून चाहते हैं। यह स्थिति तब है, जब मुसलमान इस्लाम को लोकतंत्र का पोषक धर्म मानते हैं।

बहरहाल महातिर ने जो कहा, उसे इस्लामिक देश कितनी गम्भीरता से लेंगे, लेंगे भी या नहीं, कहना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने जो कहा वह उस कड़वी सच्चाई का आईना है, जिससे आज मुस्लिम देश और दुनियाभर के मुसलमान गुजर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इसी का परिणाम अशांति और अंतहीन क्लेश और कलह है। यह सच है कि इस्लाम में समय के अनुरूप सुधार के पैरोकार भी हैं। इसे इज्तिहाद कहा जाता है। कट्टर वहाबी इस्लाम को मानने वाले सऊदी अरब में भी हाल में हुए कुछ सामाजिक सुधारों से दुनिया में सही संदेश गया है। इटली के इस्लामिक विद्वान ओलिवर रॉय के मुताबिक मुसलमानों में अब टैक्नोक्रेटिक आधुनिकतावाद और पारंपरिक मूल्यों के बीच तालमेल बिठाने वाला वर्ग भी उभर रहा है। हालांकि यह वर्ग अभी इतना सक्षम नहीं है कि राजनीतिक इस्लाम की अवधारणा को बदल दे। उनके मुताबिक आज जरूरत पारंपरिक इस्लामी मूल्यों को वैश्विक मूल्यों में बदलने की है। साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों को हर स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है।

आज ज्यादातर मुस्लिम राष्ट्र जिन समस्याओं से दो–चार हो रहे हैं, वो है जिहाद, अशांति, गृह युद्ध, लैंगिक असमानता, आर्थिक विषमता और गरीबी। लेकिन जिहादी केवल इस्लामिक राज्य के लिए लड़ रहे हैं।

नागरिकता कानून के विरोध की आड़ में राष्ट्रघाती षड़यंत्र

साढ़े ग्यारह करोड़ बंग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान और पाकिस्तानी नागरिक गैर कानूनी ढंग से भारत में प्रवेश कर रह रहे हैं। भाजपा विरोधी कांग्रेस सहित कतिपय दल ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को शाहीनबाग जैसी धर्मांधता के जरिये दबाव बनाकर भारत की नागरिकता क्यों दिलाना चाहते हैं? सिर्फ इसलिये कि उनके थोक वोट से वे अपने अपने क्षेत्रों में अपनी जीत सुनिश्चित कर सकें – यह तात्कालिक लाभ भारत वासियों को कितना घातक सिद्ध होगा – इसकी कल्पना करें कि भारत–पाकिस्तान के बंटवारे के समय कितना खून खराबा हुआ था, लाखों लोग मारे गये थे, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, उसके पहले पं. बंगाल में सन् 1946 में चलाये गये 'डायरेक्ट ऐक्शन' में सिर्फ चार दिनों में दस हजार से अधिक हिन्दुओं की बर्बर तरीके से हत्यायें की गई थी। आजादी के बाद कश्मीर से पांच लाख हिन्दुओं को बलात कश्मीर छोड़ देने को बाध्य किया गया था ये कश्मीरी अपने ही देश में शरणार्थी बना दिये गये थे। इनके साथ किस–किस प्रकार जुल्म नहीं हुये? अब नागरिकता कानून का विरोध सिर्फ भाजपा का विरोध करने के लिये देश घाती कदम उठाना क्या जायज है? जिसके परिणाम भविष्य में अत्यन्त दुःख दायी सिद्ध होने वाले हैं। अभी हाल ही शाहीनबाग में टुकड़े–टुकड़े गेंग, हैदराबाद के औबेसी बंधुओं, मुम्बई के वारिस पठान जैसों ने जिस प्रकार देश विरोधी बयान बाजियाँ की हैं–वे सचेत करने के लिये पर्याप्त है? क्या फिर भी हम नागरिकता कानून का विरोध कर आत्मघाती कदम उठायेंगे?

वारिस पठान ने अपने बयान में कहा था कि 15 लाख मुसलमान 100 करोड़ हिन्दुओं पर भारी पड़ेंगे, औबेसी की पार्टी द्वारा आयोजित रैली में एक लड़की ने मंच से पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये थे, इस छात्रा के सम्बंध नक्सलियों से भी जुड़े बताये जाते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष फैजुल हसन और शरर्जील इमाम ने अपने बयानों में कहा था कि ''हमारी कौम लड़ाई में देश को बर्बाद करने की ताकत रखती है।''

कट्टरपंथी शरजील इमाम ने जिस 'चिकननेक' क्षेत्र को अवरूद्ध करने के लिये 5 लाख की संख्या में मुसलमानों से एकत्र होने का आव्हान किया था। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कब्जा करके शेष भारत से इस क्षेत्र का सम्पर्क तुड़वा सकते हैं। इस सिरेफिरे को पुलिस ने एक मस्जिद से गिरफ्तार किया था, जहां पर यह छिपा हुआ था। आखिर वे कौन लोग थे जिन्होंने इसे मस्जिद में शरण दी थी?

चिकननेक क्षेत्र में बांग्लादेश से मुसलमानों की घुसपैठ जारी है। शरजील इमाम इन्हीं मुस्लिमों के दम पर देश तोड़ने की गीदड़ भभकी देता है। पं. बंगाल की सीमा से लगे जिले मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बदल चुके हैं।

इस जनसंख्या वृद्धि से दो प्रकार के खतरे पैदा हो गये हैं। पहला, घुसपैठिये स्थानीय मुस्लिमों के बीच बसकर बहुसंख्यक हो जाते हैं और दूसरा, इनके बीच इस्लामिक आतंक वादियों की पैठ बड़ी आसानी से हो जाती है। यदि इसी तरह बांग्लादेश से घुसपैठ जारी रही तो सन् 2040 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जायेगा। इस दृष्टि से शरजील इमाम की अपील को सोची समझी साजिश का संकेत मानना चाहिये क्योंकि इस क्षेत्र के लिये भी चिन्ताजनक बनी हुयी हैं। इस गम्भीर मसले पर मुसलमान नेताओं का मौन संदेह को दृढ़ता प्रदान करता है।

सन् 1947 में विभाजन के बाद से तथा सन् 1971 में बांग्लादेश के निर्माण पर इस क्षेत्र में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की भारी संख्या प्रवेश कर गयी। यह संख्या बहुत अधिक है।

इन बयानों को क्या नजरअंदाज किया जा सकता है। शरजील इमाम ने पांच लाख मुसलमानों से एकत्रित होकर असम को देश से अलग करने का आव्हान किया था।

भारतीय संविधान में मिली अभिव्यक्ति के अधिकार का दुरूपयोग करते हुये देश में घृणा का माहौल तैयार किया जाकर देश विरोधी कृत्य में शामिल इन तत्वों के बढ़ते हुये हौसलों पर तत्काल रोक लगाये जाने की जरूरत है। इनके बयानों से इनके छिपे हुये मंसूबे उजागर हो रहे हैं। ये भारत में रहते हुये क्या करना चाहते हैं।

कांग्रेसी सन् 1950 में नेहरू जी द्वारा संसद में दिये गये बयान को पढ़ लेते, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के 18 दिसम्बर 2003 के बयान को क्यों नहीं पढ़ते? सन् 2005 में ममता बनर्जी ने आवेश में सदन के बेल में आकर कहा था बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ विनाशकारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हिन्दू शरणार्थियों के बारे में ऐसी मांग की थी, और तो और कम्युनिष्ट नेता प्रकाश करात ने भी सन् 2012 में डॉ. मनमोहन सिंह को इसी बावत् पत्र लिखा था। फिर ये नफरत फैलाने वाला पाखंड खेल क्यों खेला जा रहा है? कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष प्रताड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति में लगा हुआ है। क्या गैर मुसलमान भारत वंशियों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार नहीं है? इसका तात्पर्य तो यही निकलता है कि सी.ए.ए. के विरोधी राष्ट्रीयता और राष्ट्रभक्ति को मीलों पीछे छोड़कर इसी ताक और षड़यंत्र में लगे हुये हें कब नरेन्द्र मोदी को हटाकर सत्ता हथियायी जाय? देश की जनता चालबाजी समझ चुकी है। इन घिनौनी सोच वालों की अब दाल नहीं गलने वाली।

सी.ए.ए. तो मुसलमानों की नागरिकता को चुनौती देने वाला तो है ही नहीं। कौन नहीं जानता कि तीनों पड़ोसी देशों में मजहबी जुनून के कारण हिन्दू–सिखों आदि पर अमानवीय अत्याचार अब तक होते आ रहे हैं। भारत में भारत वंशियों को नागरिकता देने पर प्रश्न उठाया जा रहा है। इसके विपरीत विश्व पटल पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि इन्हीं अमानवीय कृत्यों के कारण गत पांच वर्षों में विश्व के लगभग 134 देशों से करीब पांच लाख पाकिस्तानी मुस्लिम नागरिकों को उन देशों ने अपने मुल्कों से बाहर का रास्ता दिखाया है।

सन् 2014 के बाद से 5 लाख 19 हजार पाकिस्तानी नागरिक दुनिया भर के कई देशों से भगाये गये हैं। तुर्की, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान जैसे मुस्लिम देश भी है, जहां से इन्हें भगाया गया है। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 65 हजार डिटेंशन सेन्टर में हैं।

भारत के इन दलों का जो सी.ए.ए. का विरोध कर रहे हैं, और अराजकतापूर्ण वातावरण बना रहे हैं, का पक्षपात पूर्ण व भेदभाव पूर्ण राजनैतिक रवैया सिर्फ हिन्दु और हिन्दुत्व के खिलाफ ही हैं? जो इनसे जुड़े हर हिन्दु पर मौके बेमौके विष–वमन करते रहते हैं।

पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक हिन्दू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन पारसी भारत इसलिये आते हैं ताकि उनकी संस्कृति, सन्तान व धर्म सुरक्षित रह सके। इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिये?

नरेन्द्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश से घुसपैठ के मामले में बड़ी गिरावट दर्ज हुयी है। सरकार बड़ी संख्या में घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजने में भी सफल हुयी है। अब तक 9145 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया तो वहीं 21348 घुसपैठियों को वापिस बांग्लादेश भेजा गया।

नागरिक संशोधन कानून के विरोध के बहाने पंथनिरपेक्षता के नाम पर पाखंड किया जा रहा है। क्यो उन्हें मुस्लिम देशों में झेली जा रही यातनयें, लड़कियों की चीखें तथा उनके माता–पिता बेबसी वाले चेहरे नजर नहीं आते, जो कट्टर मुसलमानों के अत्याचार का शिकार बनते चले आ रहे हैं। कांग्रेस सहित विपक्षी दल और मुल्ला–मौलवी इन घुसपैठियों को भारत की नागरिकता क्यों दिलाना चाहते हैं? क्या कुछ लोग भारत में सीरिया जैसी तबाही मचाने की साजिश रच रहे हैं?

अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के आगमन के ऐन मौके पर देश की राजधानी दिल्ली के मौजपुर, भजनपुर, ब्रह्मपुरी और गोकुलपुरी आदि क्षेत्रों में पथराव, आगजनी और फायरिंग की घटनायें इसे सही सिद्ध करती भी है। ये हिंसक वारदातें अचानक नहीं हुयीं है। इसकी पटकथा शाहीनबाग जैसे धरना–प्रदर्शन के आयोजन कर्ताओं की योजनाओं में से एक का प्रतिफल है। दो दिनों से जारी इस हिंसा में एक वरिष्ठ पुलिस हवलदार सहित 170 से अधिक पुलिस कर्मी और दमकल कर्मी घायल हुये हैं। इनमें से 13 की मृत्यु भी हो चुकी है। अंततः पुलिस द्वारा उपद्रवियों से देखते ही गोली मारने के आदेश दिये गये। मामले की गम्भीरता को देखते हुये 10वीं–12वीं की परीक्षायें भी स्थगित करना पड़ी हैं। यह वो दबी हुयी 'गजवा–ए–हिन्द' को साकार करने की लालसा के लिये रचा गया जाल है।

शेष भाग पृष्ठ क्र.1 का

देखने को मिल ही गया। यह उन्माद इस कदर बढ़ा दिया गया था कि शासन–प्रशासन और यहां तक कि न्यायालय पर भी दबाव बनाने के लिये शाहीनबाग, मंडा हाऊस क्षेत्र तथा जामिया के प्रदर्शनकारी संसद तक जाने के लिये नारेबाजी करते हुये अड़ गये थे। नियम विरूद्ध किये गये धरने के दौरान जिहादी चरित्र और राष्ट्रविरोधी कृत्यों के होने की आशंका तो पल–पल होने लगी थी। विरोध तो किया जा रहा था नागरिकता कानून का, संविधान की रक्षा करने के नाम पर, पर देश को तोड़ने की बात खुले आम किये जाने से बिलकुल भी परहेज नहीं किया गया। यह हौसला किसने बढ़ाया? उन सबको इस हिंसा और आगजनी के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिये।

रामलीला मैदान से कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का यह आव्हान 'इस पार या उस पार की लड़ाई होगी, प्रियंका गांधी द्वारा कहा गया था' कि अगर चुप रहे तो नष्ट हो जायेगा, बाबा सा. का संविधान, राहुल गांधी जिन्ना वाली आजादी मांगने वालों के साथ खड़े थे–इन बयानों के मायने क्या हैं, क्यों उत्तेजना फैलायी जा रही थी? क्योंकि कांग्रेस अपनी हार की चोट को अब तक बर्दास्त नहीं कर पा रही है।

असल प्रश्न से ध्यान हटाया गया है कि इन प्रदर्शनों और धरनों के माध्यम से देश का माहौल खराब करने के लिये धन कहां से मुहैया कराया गया है?

असल गुनाहगार कौन है–इसकी पहचान किया जाना बाकी है। राजधानी में मृतक संख्या बढ़कर 50 के करीब पहुंच चुकी है। तथा 250 से अधिक लोग बुरी तरह जख्मी हुये हैं। इसके अलावा सर्वाधिक गम्भीर मामला यह भी है कि 70 से अधिक लोगों को गोलियां लगी हैं।

23 फरवरी सन्2020 का दिन भारतीय इतिहास में जहरीले भाषणों के जरिये बोयी गयी फसल को काटने के लिये याद किया जायेगा। इस दिन आगजनी से कई परिवारों के व्यापार, व्यवसाय, जीवन भर की कमाई पर बने आशियाने धूल में मिला दिये गये, वहीं कई घरों के चिराग इंसानियत की दुश्मन बन चुकी भीड़ ने बुझा दियें। सबकी रक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली पुलिस को भी दंगाईयों ने नहीं बक्शा। हेड कान्सटेबिल रतनलाल और आई.बी. अधिकारी अंकित शर्मा को दंगाईयों को रोकने ये शहादत देनी पड़ी।

इस दंगे का हर सबूत चीख–चीख कर कह रहा था कि यह गहरी साजिश का नतीजा है। तीन दिन तक चली गोलीबारी, पथराव, ऐसिड बमों का प्रयोग–यह सब पूर्व नियोजित षड़यंत्रों की तैयारी के बिना सम्भव नहीं है। वह भी जब अमरीकी राष्ट्रपति डोनोल्ड ट्रंप का आगमन दिल्ली में होना था। जब देश विदेश की खुफिया एजेंसियाँ राजधानी में उपस्थित थी। इन साजिश कर्ताओं की पहचान कर कड़ा से कड़ा संदेश दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

आखिर भड़काये गये, भ्रमित किये गये समाज के मन को किस तरीके से साफ किया जायेगा? अंततः यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 'यदि शाहीनबाग' नहीं होता तो कुछ नहीं होता। राजनीतिक तौर तरीके अपना कर रणनीति के तहत जाफराबाद, चाँदबाद, बाबरपुर आदि स्थानों पर सड़कों को घेरकर महिलाओं को बैठाया गया। यहीं से खुले आम झूठे प्रचार की शुरूआत होकर देशविरोधी, देश के लिय घातक प्रचार को खुलकर फैलाने का अवसर दिया जाकर शाहीनबाग का खतरनाक तरीके से महिमामंडन किया गया। जिस झूठे प्रचार के कारण हिंसा हुयी वह 'कौआ कान ले गया' कहावत से जुड़ा था। भयाकान्त करने वाले असली दोषी हैं, उनकी पहचान होना चाहिये।

पंजीकृत समाचार पत्र सम्बंधी
घोषणा पत्र
फार्म–4(नियम–8)

महाकोशल संदेश(साप्ताहिक)(RNI NO. MPHIN 2001/11140)

प्रकाशन स्थाल	–	विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं.1, म.नं.1692, नव आदर्श कालोनी गढ़ा मार्ग, जबलपुर(म.प्र.)
मुद्रक का नाम	–	विश्व संवाद केन्द्र द्वारा अधिकृत श्री दीपक गुप्ता
पता	–	ओम ऑफसेट प्रिंटर्स, 239 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के सामने, बल्देवबाग चौक, जबलपुर.
प्रकाशक	–	डॉ. किशन कछवाहा
राष्ट्रीयता	–	भारतीय
पता	–	विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं.1, म. नं. 1692, नव आदर्श कालोनी, गढ़ा मार्ग, जबलपुर(म.प्र.)
सम्पादक	–	डॉ. किशन कछवाहा
राष्ट्रीयता	–	भारतीय
पता	–	विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं.1, म. नं. 1692, नव आदर्श कालोनी, गढ़ा मार्ग, जबलपुर(म.प्र.)

मैं डॉ. किशन कछवाहा एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वासव के अनुसार सही है।

अपठित हस्ताक्षर

मुफ्त का फंदा

बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, बस किराया मुफ्त, वाईफाई मुफ्त.... ऐसी ही तमाम चीजें मुफ्त परोसने की राजनीति लोगों को मुफ्तखोरी का अभ्यस्त ही बनाएगी। अगर यही सब चलता रहा है तो सरकार की विकास योजनओं के वास्ते धन कहां से आएगा? यह भी संभव है कि कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ने लगें। दक्षिण अमरीकी देश वेनेजुएला की शावेज सरकार का उदाहरण दुनिया के सामने है। उन्होंने भी जनता को तमाम चीजें मुफ्त दीं। पांच–छह साल हर चीज लोगों को मुफ्त मिलती रही। कोई काम न करने पर बेरोजगारी भत्ता मिलता था। सरकार कच्चा तेल बेच कर अपना और देश का सारा खर्चा चलाती थी। धीरे–धीरे तेल के दाम आधे–तिहाई रह गए। सरकार ने कर्ज लिया। जनता कोई काम करना नहीं चाहती थी। शावेज अपनी नीतियों के जाल में फंस गए। वेनेजुएला कर्ज के दलदल, में धंसता चला गया। उसकी मुद्रा बोलीवार का भारी अवमूल्यन हो गया। एक डॉलर में 35,00,000 बोलीवार मिलने लगे। महंगाई बढ़ने की दर कल्पना से परे चली गई। हर 35 दिन में दाम दुगने हो जाते थे। एक करोड़ बोलीवार में एक किलो दूध आने लगा। लोगों के पास बोरे भर कर नोट हैं, पर पेट भरने के लिए सामान नहीं हैं। शावेज देश छोड़ कर भाग गए। हमें वेनेजुएला से सीख लेनी चाहिए।

–पूनम मित्तल, मोहनपुरी,मेरठ

सूचना

कृपया आप अपना सुझाव महाकोशल संदेश के ई–मेल व्हाट्सअप नं. 9713223539 पर भेजें।

– सम्पादक

प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. किशन कछवाहा द्वारा विश्व संवाद केन्द्र, महाकोशल, प्लाट नं–1, म.नं. 1692, नवआदर्श कालोनी, के लिये ओम आफसेट प्रिन्टर्स 239, यूनियन बैंक के सामने बल्देवबाग चौक, जबलपुर द्वारा मुद्रित। प्रकाशन स्थान–विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं 1, म.नं. 1692 नवआदर्श कॉलोनी गढ़ा मार्ग जबलपुर मध्यप्रदेश । संपादक– डॉ. किशन कछवाहा

Email:- vskjbp@gmail.com kishan_kachhwaha@rediffmail.com